

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2015/1677


दिनांक:-24-09-2015

आदेश

जवाहर नगर आवासीय योजना, बूंदी वृत्त कोटा के अधीन घरोंदा (EWS) के भूखण्डों को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी से निस्तारण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-


| क्र. स. | योजना का नाम | आय वर्ग | आवासों की संख्या | कुल आवास |
|---------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 1 | जवाहर नगर आवासीय योजना, योजना बूंदी | घरोंदा (EWS) | 4 F 17 to 4 F 25 & 4 F 25 A | 10 |

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/उप आवासन आयुक्त वृत्त कोटा नीलामी से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है, उक्त आवासों के आलावा स्कीम में कोई अन्य आवास नीलामी हेतु रिक्त नहीं है एवं उक्त आवासों का निस्तारण प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जावे एवं किसी भी अन्य प्रकार के निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती, अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लें।
उक्त आदेशों को नोट शीट पैरा 53-54/एन पर अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता (मु.), प्रथम/द्वितीय/निदेशक(विधि)/ मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त वृत्त-कोटा, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-बूंदी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, /नागरीक सेवा केन्द्र, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक